

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1581] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 25, 2018/ वैशाख 5, 1940 No. 1581] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 25, 2018/ VAISAKHA 5, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2018

संख्या 04 / 2015-2020

विषयः आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-। (आयात नीति) के अध्याय 7 के तहत मटर की आयात नीति में संशोधन।

काठ आठ 1755(अ).—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिठत विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 7 के मदों की आयात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है:

एक्जिम कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित आयात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
0713 1000	मटर (पिसम सटिवम)	मुक्त	_	प्रतिबंधित	01 अप्रैल से 30 जून, 2018 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित और इस अध्याय की नीतिगत शर्त 4 के अधीन।

नीतिगत शर्त 4:01 अप्रैल से 30 जून, 2018 तक की अवधि के दौरान 1 लाख मीट्रिक टन पीले मटर की कुल मात्रा में से 01.04.2018 से आज तक आयात हो चुकी मात्रा को घटाकर शेष मात्रा डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार लाइसेंस के लिए अनुमत होगी।

''पहले आयातित'' के अन्तर्गत 01.04.2018 से 25.04.2018 तक आया पोत लदान और 25.04.2018 से पहले अपरिवर्तनीय वाणिज्यिक साख पत्र (आईसीएलसी) और बैंकिंग चैनल के माध्यम से किए गए अग्रिम भुगतान के तहत आया पोत लदान शामिल होगा। इन दोनों श्रेणियों को विदेश व्यापार नीति, 2015—20 के पैरा 1.05 के अनुसार क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराना अपेक्षित होगा।

2387 GI/2018 (1)

2. इस अधिसूचना का प्रभावः एक्जिम कोड 0713 1000 के तहत पीले मटर की आयात—नीति केवल तीन महीने की अवधि के लिए 'मुक्त' से संशोधित कर 'प्रतिबंधित' की जाती है।

[फा0 सं0 एम-5012 / 300 / 2002 / पीसी-2(क) / पार्ट-VI / ई-9019]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2018

No. 04/2015-2020

Subject: Amendment in import policy of Peas under Chapter 7 of the ITC (HS) 2017, Schedule – I (Import Policy)

S.O. 1755(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy of items of Chapter 7 of the ITC (HS)2017, Schedule – I (Import Policy) as under:

Exim Code	Item Description	Existing Policy	Existing policy condition	Revised Import Policy	Revised Policy condition
0713 1000	Peas (Pisum sativum)	Free	-	Restricted	Restricted for the period from 01st April to 30th June, 2018 and subject to Policy Condition 4 of this Chapter

Policy Condition 4: During the period from 01st April to 30th June, 2018 total quantity of one lakh MT of yellow peas minus the quantity already imported from 01.04.2018 till date will be allowed against license as per procedure to be notified by DGFT.

2. **Effect of this Notification**: Import policy of Yellow Peas under Exim Code 0713 1000 is revised from free to 'restricted' for a period of three month only.

[F.No. M-5012/300/2002/PC-2(A)/Part-VI/E-9019]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Dr. General of Foreign Trade

[&]quot;Already Imported" will include shipment already arrived from 01.04.2018 till 25.04.2018 and those shipments backed by Irrevocable Commercial Letter of Credit (ICLC) and Advance Payment made through Banking Channel before 25.04.2018. Both these categories will be required to be registered with Jurisdictional Regional Authority as per Para 1.05 of Foreign Trade Policy, 2015-20.